महानिदेशक का सन्देश

भारत में होम गार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को बंबई में "स्वैच्छिक नागरिक संगठन" की अवधारणा के आधार पर नागरिक उपद्रवों और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए की गयी थी । कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए पुलिस के सहायक के रूप में एक स्वैच्छिक नागरिक बल की यह अवधारणा सामुदायिक साझेदारी के व्यापक पहलू, सामुदायिक क्षमता निर्माण एवं एक सुरक्षित और आपदा प्रबंधित समाज की राष्ट्रीय दृष्टि को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक एवं उपयोगी कदम है। इस "निष्काम सेवा" के आदर्श वाक्य वाले महान संगठन का हिस्सा बनना एक सम्मान और विशेषाधिकार है।

देशभक्ति की भावना, समुदाय की सेवा और साथी मनुष्यों की मदद इस स्वैच्छिक संगठन के अस्तित्व का आधार है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का यह स्वयं सेवी संगठन पुलिस की सहायता के अलावा आपदा प्रबंधन क्षमताओं हेतु समुदाय की तैयारियों और सार्वजनिक जागरूकता की वृद्धि के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिकों का एक पूल भी बना रहा है। मुझे खुशी है कि इसी भावना के साथ विगत वर्ष से दिल्ली सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अनुसार 4, 686 भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों को महिला सुरक्षा के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में बस मार्शल के रूप में चुना और शामिल किया गया है जो इस स्वैच्छिक संगठन के समर्पण एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विविधता को प्रस्तुत करता है। यह भी हर्ष की बात है कि वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार द्वारा पहली बार हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए बोनस स्वीकृत किया और साथ ही 2,955 होमगार्ड स्वयंसेवकों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढाया गया.

मुझे पूर्ण विश्वाश है कि इस संगठन की निहित निस्वार्थ समर्पण, साहस और अनुशासन की भावना होमगार्ड्स को और अधिक समर्पण और उत्साह के साथ देश की सेवा करने में सक्षम बनाएगी। मैं, 74 वें स्थापना दिवस के इस सुखद अवसर पर होमगार्ड्स संगठन के सभी स्वयं-सेवकों एवं सदस्यों तथा उनके परिवार-जनों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उनके स्वस्थ, समृद्ध और सफल भविष्य की कामना करता हूं।